क्रम-संख्या–160(क-4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 अप्रैल, 2026

बैशाख 9, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4

————————

संख्या 841/81-4–2026

लखनऊ, 29 अप्रैल, 2026

————————

अधिसूचना

प0आ0–241

चूँकि तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी स्थित 1.6020 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले ''सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब)'' के नाम से एक जल निकाय विद्यमान है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दी गयी अनुसूचियों में दिया गया है जिसे स्थानीय समुदायों और समग्र समाज के लिए अपनी पारिस्थितिकी सेवाओं और जैव विविधता मूल्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है;

और चूँकि, पूर्वोक्त जल निकाय हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है; यह जल भंडारण, जल शोधन, बाढ़ शमन, कटाव नियंत्रण, जलभृत पुनर्भरण, सूक्ष्म जलवायु विनियमन, परिदृश्यों के सौन्दर्य संवर्धन जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है; और पर्यावरण संरक्षण, पर्याप्त वनस्पतियों और जीवों, पारिस्थितिकी परिदृश्य और मानवीय मूल्यों के संवर्धन और विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

और चूँकि, पूर्वोक्त जल निकाय को एक 'आर्द्रभूमि' के रूप में घोषित करने वाली प्रारूप अधिसूचना, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 (जिसे आगे उक्त नियम कहा गया है), के नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित जनसामान्य की सूचना के लिए और सरकारी गजट में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिनों के भीतर तत्सम्बन्ध में आपत्तियाँ आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या–2258/81–4–2025 दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और चूँकि, जिला बाराबंकी स्थित "सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब)" के पारिस्थितिकीय एवं जैव विविधता के विस्तार के दृष्टिगत, इसके पारिस्थितिकीय स्वरूप और पारिस्थितिकीय महत्व को स्थायी बनाना आवश्यक है और साथ ही, स्थानीय समुदायों और समग्र समाज के लाभ के लिए "सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब)" और इसके प्रभाव क्षेत्र में विकासपरक क्रियाकलापों को विनियमित करना भी आवश्यक है;

अतएव, अब, उक्त नियम के नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) के क्षेत्र को, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दी गई अनुसूचियों में दिया गया है, आर्द्रभूमि के रूप में घोषित करते हैं, जिसे, अब आगे "सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब), जिला बाराबंकी" के नाम से जाना जायेगा ।

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि के अधीन सम्मिलित क्षेत्र की सीमा एवं विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची–एक में उल्लिखित है।

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र (जेड0ओ0आई0) का विस्तृत विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची–दो में उल्लिखित है।

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि एवं इसके प्रभाव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची–तीन में उल्लिखित है।

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि और इसके प्रभाव क्षेत्र में अनुज्ञात क्रियाकलापों का विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची–चार में उल्लिखित है।

अनुसूची–एक

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि की सीमा-

उत्तर – आबादी, अनिल कुमार, बाला प्रसाद, मथुरा प्रसाद आदि

पूरब – विद्यालय

दक्षिण – बंजर, आबादी, नाली

पश्चिम – धर्मेश, राजाराम आदि

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि, जिला बाराबंकी का क्षेत्रफल 1.6020 हेक्टेयर है और इसके स्वामित्व का विस्तृत विवरण निम्नवत है:–

खतौनी मौजा–सदुल्लापुर, परगना–सिद्धौर, तहसील–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी

वर्ष–1422–1427 फसली

खातेदार का नाम	खाता संख्या	नाम कास्तकार बकैद वल्दियतव कौमियत व सकूमत	मुद्दत काश्त	संख्या खेत मुताबिक खसरा	रकबा बाहिसाब बंदोबस्त (हेक्टेयर में)		लगान	कैफियत
					मजरूआ	गैर मजरूआ		
तालाब	00363	जलमग्न		359		1.6020		
			योग	**01**		**1.6020**		

अनुसूची–दो

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि, जिला बाराबंकी के प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इन्फ्लूएंश) का विस्तृत विवरण

क्रम संख्या	सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि की सीमा के निर्देशांक		सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इन्फ्लूएंश) के निर्देशांक		सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि एवं प्रभाव क्षेत्र (जोन आफ इन्फ्लूएंश) के मध्य की दूरी (मीटर में)
	अक्षांश	देशान्तर	अक्षांश	देशान्तर	
1	26°45' 4.009" N	81°18' 31.727" E	26°45' 4.417" N	81°18' 29.975" E	50.00
2	26°45' 4.823" N	81°18' 32.702" E	26°45' 6.445" N	81°18' 32.593" E	50.00
3	26°45' 3.462" N	81°18' 35.584" E	26°45' 5.634" N	81°18' 34.874" E	50.00
4	26°45' 5.634" N	81°18' 36.954" E	26°45' 7.256" N	81°18' 36.845" E	50.00
5	26°45' 3.958" N	81°18' 39.558" E	26°45' 4.358" N	81°18' 41.313" E	50.00
6	26°45' 0.095" N	81°18' 36.272" E	26°44' 58.498" N	81°18' 36.607" E	50.00

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि में जल का स्रोत वर्षा जल तथा भू-गर्भ जल है।

अनुसूची–तीन

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि, जिला बाराबंकी और इसके प्रभाव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का विवरण

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप-

1–किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोगों के लिए संपरिवर्तन ।

2–नए उद्योगों की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का विस्तार ।

3–परिसंकटमय पदार्थों/निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और निपटान ।

4–ठोस अपशिष्ट पाटन।

5–अशोधित मल जल/औद्योगिक बहि:स्राव/अपशिष्ट जल के लिए निमग्न ।

6–निर्माण क्रियाकलाप (नाव घाटो को छोड़कर) ।

7–प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट प्रदूषण ।

विनियमित क्रियाकलाप-

1–जल निष्कासन/अवरोध/मोड़ या कोई अन्य जल विज्ञान हस्तक्षेप ।

2–संसाधनों (जीवित/अजीवित) की कटाई ।

3–चराई।

4–नाव घाटों का निर्माण और अस्थायी उपयोग के लिए सुविधाओं का निर्माण, जैसे कि पीपापुल।

5–आर्द्रभूमि सीमाओं के भीतर जलीय कृषि क्रियाकलाप ।

6–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन तैयार प्रचलित महायोजना के अधीन प्रस्तावित सड़क तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके द्वारा गठित प्राधिकरणों / स्थानीय निकायों के अधीन निर्माण क्रियाकलापों सहित परियोजना।

7–आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समस्त क्रियाकलाप।

नोट: इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से पूर्व किये गये निर्माण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आर्द्रभूमि के भीतर तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित क्रियाकलापों की अनुज्ञा जब कभी अपेक्षित हो उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा जिला आर्द्रभूमि समिति की संस्तुति पर दी जा सकेगी।

अनुसूची–चार

सदुल्लापुर (लम्बुआ तालाब) आर्द्रभूमि, जिला बाराबंकी और इसके प्रभाव क्षेत्र में अनुज्ञात क्रियाकलापों का विवरण

अनुसूची–तीन में वर्णित क्रियाकलापों के सिवाय समस्त क्रियाकलाप जो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 का उल्लंघन नहीं करते हैं ।

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 841/LXXXI-4-2026 dated April 29 2026.

No. 841/LXXXI-4-2026

Dated Lucknow, April 29, 2026

WHEREAS there exists a water body known as "Sadullapur (Lambua Talab)" measuring an area of 1.6020 hectares situated in Tehsil Haidergarh, District Barabanki, detailed description whereof is given in the Schedules below, which is considered to be critically significant for its ecosystem services and biodiversity values for the local communities and society at large;

AND WHEREAS, the aforesaid water body is a part of cultural heritage; provides a wide range of ecosystem services such as water storage, water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, micro-climate regulation, aesthetic enhancement of landscapes; and is important for environmental conservation, enrichment and development of adequate flora and fauna, ecology, landscape and humanitarian values;

AND WHEREAS, draft notification declaring the aforesaid water body as a "wetland" was published *vide* Government Notification no. 2258/81-4-2025 dated December 3, 2025 as required under sub-rule (3) of rule 7 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "said rules"), for the information of the general public and with a view of inviting objections in respect thereof within 60 days from the date of publication of the said notification in the Official *Gazette*;

AND WHEREAS, no objection, in respect of the aforesaid draft notification, has been received within the stipulated period ;

AND WHEREAS, considering the extent of ecological and biological diversity of "Sadullapur (Lambua Talab)" situated in District Barabanki, it is necessary to make the ecological character and ecological importance thereof enduring and it is also necessary to regulate the developmental activities in "Sadullapur (Lambua Talab)" and its Zone of Influence for the benefit of local communities and society at large;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-rule (3) of rule 7 of the said rules, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to declare the area of "Sadullapur (Lambua Talab)" detailed description whereof is given in the Schedules below, as wetland which will now onwards be known as "Sadullapur (Lambua Talab) Wetland", District Barabanki.

The boundary and description of the area included under the Sadullapur (Lambua Talab) Wetland is mentioned in Schedule-I of this notification.

Details of the zone of influence (ZOI) of the Sadullapur (Lambua Talab) Wetland are mentioned in Schedule-II of this notification.

Description of prohibited and regulated activities in Sadullapur (Lambua Talab) Wetland and its zone of influence are mentioned in Schedule-III of this notification.

Description of permitted activities in Sadullapur (Lambua Talab) Wetland and its zone of influence are mentioned in Schedule-IV of this notification.

SCHEDULE-I

Boundary of Sadullapur (LambuaTalab) Wetland-

North- Aabadi, Anil Kumar, Bala Prasad, Mathura Prasad etc.

East- School

South- Banjar, Aabadi, Nali

West- Dharmesh, Rajaramets.

The area of Sadullapur (Lambua Talab) Wetland, District Barabanki is 1.6020 hectares and the details of its ownership are as under :-

Khatauni Mauza-Sadullapur, Pargana-Sidhaur, Tehsil-Haidergarh, District-Barabanki

Year-1422-1427 Fasli

Name of Khatedar	Khata No.	Name Kashtkar Bakad Waldiat & Kaumiyat and Sakumat	Muddat Kasht	Number Khetmutabik khasra	Rakba bahisab bandobast (in hectare)		Lagan	Kaifiyat
					Majarua	GairMajarua		
Talab	00363	Jalmagn		359		1.6020		
			Total			**1.6020**		

SCHEDULE-II

Detail of Zone of Influence (ZOI) of Sadullapur (Lambua Talab) Wetland, District Barabanki

S.No.	Co-ordinates of boundary of Sadullapur (Lambua Talab) Wetland		Co-ordinates of ZOI of Sadullapur (Lambua Talab) Wetland		Distance between Sadullapur (Lambua Talab) Wetland and ZOI (In Mtr.)
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
1	26°45' 4.009" N	81°18' 31.727" E	26°45' 4.417" N	81°18' 29.975" E	50.00
2	26°45' 4.823" N	81°18' 32.702" E	26°45' 6.445" N	81°18' 32.593" E	50.00
3	26°45' 3.462" N	81°18' 35.584" E	26°45' 5.634" N	81°18' 34.874" E	50.00
4	26°45' 5.634" N	81°18' 36.954" E	26°45' 7.256" N	81°18' 36.845" E	50.00
5	26°45' 3.958" N	81°18' 39.558" E	26°45' 4.358" N	81°18' 41.313" E	50.00
6	26°45' 0.095" N	81°18' 36.272" E	26°44' 58.498" N	81°18' 36.607" E	50.00

The sources of water in Sadullapur (Lambua Talab) Wetland are rainwater and underground water.

SCHEDULE-III

Description of Prohibited and Regulated activities in Sadullapur (Lambua Talab) Wetland,

District-Barabanki and its zone of influence

Prohibited activities–

1. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind.
2. Setting up new industries / expansion of existing industries.
3. Manufacturing, handling, storage and disposal of hazardous substance / construction and demolition waste.
4. Solid Waste dumping.
5. Sink for untreated sewage / industrial effluent / waste water.
6. Construction activities (except boat jetties).
7. Plastic, polythene and other non bio-degradable waste pollution.

Regulated activities–

1. Withdrawal of water / impoundment / diversion or any other hydrological intervention.
2. Harvesting of resources (living/non-living).
3. Grazing.
4. Construction of boat jetties and facilities for temporary use, such as pontoon bridges.
5. Aquaculture activities within the Wetland boundaries.

6. Road proposed under prevalent master plan prepared under Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 and project including construction activities under Central Government, State Government and Authorities/ Local bodies constituted by them.

7. All activities having adverse effect on the wetland ecosystem.

Note: There will be no adverse effect on construction done before final publication of this notification.

Permission for regulated activities within the wetland and within its Zone of Influence may be granted by Uttar Pradesh State Wetland Authority on the recommendation of District Wetland Committee as and when required.

SCHEDULE-IV

Description of permitted activities in Sadullapur (Lambua Talab) Wetland,

District Barabanki and its zone of influence

All activities, except those described in Schedule –III, which are not in contravention of Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

By order,

V. HEKALI ZHIMOMI,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 103 राजपत्र–2026–(215)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 62 सा0 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन–2026–(216)–100 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।